

## वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

### प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

|        |   |   |
|--------|---|---|
| I.     | परियोजना / स्कीम का स्थान   | "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - 11" कवर्धा वनभंडल                                      |
| (i)    | राज्य / संघ शासित क्षेत्र   | छत्तीसगढ़   |
| (ii)   | जिला  | कट्टीरधाम   |
| (iii)  | वन प्रभाग   | कवर्धा  |
| (iv)   | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)   | 10.526 (हेक्टेयर)   |
| (v)    | वन कानूनी स्थिति  | आरक्षित वन, संरक्षित वन, एवं आरेज वन राजस्व वनभूमि                              |
| (vi)   | हरियाली का घनत्व  | 0.4 – 0.6   |
| (vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिणामना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये। | आवश्यकता नहीं है।   |
| (viii) | भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।  | मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।      |
| (ix)   | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।  | प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है। |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)                 | नहीं हैं।   |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।  | नहीं हैं।   |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि  | नहीं हैं।   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।  |  |
| 2. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक हैं। |
| 3. | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।                                  | नहीं हैं।  |
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा   |  |
|    | (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार  | आवश्यकता नहीं है।  |
|    | (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता भैप   | आवश्यकता नहीं है।  |
|    | (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि   | आवश्यकता नहीं है।  |
|    | (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय  | आवश्यकता नहीं है।  |
|    | (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)  | आवश्यकता नहीं है।  |
| 5. | जिला वन सरकार की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)  | आवश्यकता नहीं है।  |
| 6. | विभाग / जिला प्रोफाईल  |  |

|    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| 6. | विभाग / जिला प्रोफाईल  |                                   |
|    | (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र  | 4447.05 वर्ग किलो मीटर            |
|    | (ii) जिले का वन क्षेत्र  | 1588.30 वर्ग किलो मीटर            |
|    | (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से बढ़ते प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र   | 18 प्रकरण<br>1240.00 हेक्टर       |
|    | (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:<br>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।<br>(ख) बढ़ते भूमि पर | 905.54 हेक्टर<br>184.00 हेक्टर    |
|    | (v) वर्ष 2015–2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :<br>(क) वन भूमि।<br>(ख) बढ़ते भूमि पर।                                    | 905.54 हेक्टर<br>184.00 हेक्टर    |
| 7. | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।                                  | स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। |

  
 वनमंडल अधिकारी  
 कवर्धी वनमण्डल  
 जिला—कबीरधाम, (छत्तीसगढ़)

दिनांक :— 22.07.2020

स्थान :— कवर्धी, इ.ग.